पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि
वादग्रस्त भूमि व संबंधित वाद विचाराधीन
है व अभिभाषक सहखातेदारी भी है जिससे
वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि
की घट अल्पाई निषेधाज्ञा जारी की
जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार
कर प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगण
के मूल वाद के निस्तारण तक इस
आशय की अल्पाई निषेधाज्ञा जारी
की जाती है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम
रीछड़ की जमाबंदी सम्वत 2070-73
के खाता संख्या 1014 किता 12 रकबा
3-19-10 भूमि की मौके व रेकार्ड
की यथास्थिति बनाई रखी जावे।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर मूल वाद
के साथ संलग्न हो। निर्णय
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द

सहायक कलक्टर